

# 2 22 ELECTION INFORMATION BOOKLET

चुनाव जानकारी पुस्तिका

#### VISION

Our vision is to be recognised as a professional institution that conducts fair and credible Elections broadly representing the will of the Fijian people.

#### **MISSION**

Our mission as Fiji's election management body is to implement internationally recognized election best practices in accordance with the law, effectively regulate political parties and efficiently register eligible Fijians to ensure that we deliver the highest quality of election services under the supervision of the Electoral Commission.

#### **GUIDING PRINCIPLES**

#### Right to vote

Every citizen over the age of 18 years has the right to vote by secret ballot.

#### One person, One vote, One value

Every voter has one vote, with each vote being of equal value.

#### A credible single National Register of Voters

Every registered voter shall be listed on a single National Register of Voters.

#### Independence, Impartiality and Neutrality

The Fijian Elections Office is an independent body and shows no preference in either speech or action for any individual candidate or political party.

#### **Excellence in Service Delivery**

Provide highest quality of electoral services to all Fijians in a professional, effective and timely manner.

#### **Good Governance**

The Fijian Elections Office values accountability, honesty, integrity and transparency in all its transactions and will ensure that all legislative disclosures are properly and adequately done.

#### **Participation**

Empowering every Fijian to take ownership of the election through active involvement.

#### Innovation

Strive towards continuous, innovative and practical solutions to contribute towards the evolution of electoral practices in Fiji.

#### Verifiability

In elections, to mechanise Fijian Elections Office processes so that given the same data and assumption, an independent and impartial Observer can produce the same results.

This Booklet is developed by the Fijian Elections Office to guide voters and help them understand the electoral processes in Fiji. This Booklet is for information purposes only and is subject to change and review by the Fijian Elections Office, if any amendment is made to any electoral laws, policies and procedures of the Fijian Elections Office.

The Fijian Elections Office will not be liable for any misinterpretation of this Booklet.

Copyright © 2022 by Fijian Elections Office.

Fijian Elections Office 59/63 High Street, Toorak

Suva, Republic of Fiji. Phone: (679) 331 6225 Email: info@feo.org.fj

ISBN: 978-982-9176-38-7

### **TABLE OF CONTENTS**

Acronyms and Abbreviations	iv
Introduction	1
Registration as a Voter	2
At the Voter Services Centre	6
Find Your Polling Venue	7
Methods of Voting	9
Persons with Disabilities	16
Counting of Ballot Papers	17
Declaration of Results	21
Final National Results Tally	22
Allocation of Seats	23
Things you should know about Election Campaigning	25
Centre for Credible Election Information	27
Complaints	28
Frequently Asked Questions (FAQ's)	29
Forms	33
Objection to Registration as a Voter	
Appeal Against Decision of the Supervisor of Elections	
Postal Voting Application Form	
Complaints Form	
Glossary	41

#### 1.0 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

**APO** Assistant Presiding Officer

**EC** Electoral Commission

**EO** Election Official

FEO Fijian Elections Office
PDW Polling Day Worker
PO Presiding Officer

SoE Supervisor of Elections
TEE Tamper Evident Envelope

VL Voter List

VQC Venue Queue ControllerVSC Voter Service Centre

#### 2.0 INTRODUCTION

बुला और जानकारी सूचना पुस्तिका में आपका स्वागत है। ये चुनाव पुस्तिका आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसे पड़े और समझे कि कैसे हम २०२२ का आम चुनाव करेंगे । इस जानकारी पुस्तिका में जितनी विष्य है,वह एक मतदाता के नजरिए से लिखी गई हैं। यह पुस्तिका आपको चुनावी प्रक्रियाँ के बारे में सुचित करेगी ताकि आप महत्वपूर्ण फैसला बना सकें।

दि कोन्सिठयुशन अफ दि रिपबलिक अफ फिजी, २०१३, अन्डर सेक्शन २३ के अनुसार हर एक नागरिक को राजनितिक भागिदारी में भाग लेने का हक्क है, यहि नहीं, आपको सिक्ट्रेट बेलट द्वारा मतदान देने का भी हक्क है।

एक मतदाता के रूप में आपकी यह जिमवारी है कि आप मतदान प्रिक्रिया के विष्य में अच्छी तरह से जाने और ये भी जाने की बेलट पेपर में आपको किस केन्डिडेठ के नम्बर पर मार्क करना है।

अगर आपको किसी भी तरह कि मदद की अवश्यक्ता हुई तो हम अपके मदद करने में पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि आप इस पुस्तिका में देखेंगे, आम चुनाव केपरिणाम मैन्युअल गनती से निर्धारित किए जाएंगे। यह चुनाव के दिन शाम 6 बजे के बाद आयोजित किया जाएगा।

परिणाम अगले दिन सुबह 7 बजे तक घोषित किए जाएंगे और अंतिम परिणाम, अंतिम राष्ट्रीय परिणाम टैली को संकलित करने के बाद चुनाव आयोग को दिया जाएगा आप केवल उसी मतदान केंद्र पर मतदान कर पाएंगे, जहाँ आप सूचीबद्ध हैं, इसलिए कृपया चुनाव के दिन से पहले अपने मतदान स्थल की जाँच करें। और भी जानकारी के लिए https://www.feo.org.fj/frequently-asked-questions-2/.

धन्यवाद.

#### 3.0 REGISTRATION AS A VOTER

इससे पहले आप वोट करे, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। यह लिस्ट उन फिज्यिन्स के लिए है जो 2022 जेनरल एलेश्न में मत देने के लिए रेजिस्टड़ हुए हैं।

वोटा लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब आप वोट देने के लिए रेजिस्टड़ हुए हैं। 3.1 Who can register?

#### कोई भी व्यक्ति जो:

- (i) जो अठाराह से ऊपर है।;
- (ii) फिजी के नागरिक हैं;
- (iii) 12 महीने या ज्यादा जेल में नहीं होना चाहिए;
- (iv) अयोग्य वोटर घोषित नहीं किया गया हो ।

#### 3.2 What is required for registration?

- (i) वेलिड फिज्यिन पासर्पीट;
- (ii) ऐफ एन पी एफ आय डी FNPF ID;
- (iii) डायविन्ग लाईसेन्स







Examples of Required Documents for Registration

#### 3.3 How do I register?

- अपने सभी रिक्वायड डोक्नेमेंट्स के साथ अपने करीबी वोटर सेविसस सेंटर जाएँ (i)
- अपना रेजिस्ट्रेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा और आप किसी और के लिए (ii) रेजिस्टेशण नहीं कर सकते हैं
- आप वोट करने के लिए सिर्फ एक ही बार रेजिस्टर कर सकते हैं और दोबारा (iii) रेजिस्टर होना गैर कानुनी है।

#### 3.4 What happens after I have registered?

जैसे आप रेजिस्टर हो जाते हैं, आपको आपका वोटर कार्ड दिया जाएगा। वोट करने हेत् वोटर कार्ड पिजेंट करना जरूरी है।

#### 3.5 Replacement of VoterCard

अगर आपका वोटा कार्डः

- (i) चोरी ;
- (ii) लापता या
- (iii) खराब.

हो गया है तो अपनी नजदीकी वोटर सेविसस सेन्टर से रिप्लेसमेंट के लिए जाएँ .

#### 3.6 Updating of Voter Details

- आप अपना वोटर डीटेल्स अपडेट कर सकते है; या आपको अपना डिटेल्स चेंज करना है तो: (i)
- (ii)

वोटा डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपने नजदीकी वोटर सेविसस सेन्टर जाएँ।

#### 3.7 VoterCard Upgrade

हरे रंग का वोटर कार्ड समाप्त हो गया है। हम उन सभी मतदाताओं से आग्रह करते हैं, जो अभी भी हरे रंग का मतदाता कार्ड धारण किए हुए हैं; वे निकटतम कार्यालय में जाकर नीले मतदाता कार्ड में आपग्रेड करले। आपका नया वोटर कार्ड में मतदाता मतदान स्थल लिखा होगा।



#### 3.8 Objection to Registration as a Voter

कोई भी रेजिस्टर्ड वोटर- जिसका नाम नेशनल रेजिस्टर आँफ वोटर्स में है, नीचे दिए गए ओप्शन्स के तौर पर किसी और रेजिस्टर वोटर के खिलाफ ओब्जेक्ट कर सकता हैं।

- (i) 18 साल का नहीं हुआ है
- (ii) फिजी सिटिजन नहीं है
- (iii) 12 साल या ज्यादा प्रजन में है
- (iv) उनको मेंटल डिस्ओर्डर डिक्लेयर हो चुका हो

रिट इशू होने तक ही ओब्जेक्शन प्रोसेस ओपन है, ओब्जेक्शन प्रकरने के लिए आपको "ओब्जेक्शन टू रेजिस्ट्रेशन एस वोटा" फार्म फिल कर के अपने नजदीकी वोटर सेविसस सेंटर जा सकते है। फार्म कि कापी इस बुकलेट में दी गई है। इस फार्म को FEO वेबसाईट से प्राप्त भी कर सकते है।



NOTE: अगर आपका रेजिस्ट्रेशन ओब्जेक्ट हो कर सैए से स्वीकृत हो जाता है तो आप इसे 14 दिनों के अन्दर अपील कर सकते हैं।.

#### 3.9 Deceased Voters

FEO हर दिन अपने लिस्ट में से उन लोंगो को निकालते रहते है जो इस दुनियाँ में नहीं है। आप किसी भी डिसिस्ड वोटर की सूचना FEO को वेरिफिकेशन के लिए दे सकते है। आप डिसिस्ड वोटर की सूचना वेरिफिकेशन लिस्ट से <a href="https://www.feo.org.fi/wp-content/uploads/2021/09/Reporting-Deceased-Voter-Form.pdf">https://www.feo.org.fi/wp-content/uploads/2021/09/Reporting-Deceased-Voter-Form.pdf</a> प्राप्त कर सकते हैं।



NOTE: किसी भी मृत्यु व्यक्ति की जानकारी देने के लिए आपको अपना वेलिड फोटो आईडी लाना होगा.

#### 4.0 AT THE VOTER SERVICES CENTRE

#### वोटर सेविसस सेन्टर मे आप: :

- (i) रेजिस्टर कर सकते हैं;
- (ii) अपना रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक, बेरिफाए, अत: अमेन्ड और कन्फर्म कर सकते हैं (iii) अपना घर के किसी गुजरे हुए सदस्य के बारे में हमें सूचित कर सकते हैं (iv) अपना पालिंग वेन्यू बदल सकते हैं।


- (v) ध्यान में रखे कि आप नई अपग्रेडड वोटा कार्ड इस्तमाल कर रहें हैं।

#### 4.1 Voter Services Centres as at 31 December 2021.

Suva Voter Services Centre	Nausori VSC
Location: Old Fiji Vistors Bureau Building, Suva Time 2 8.30am - 3.00pm	Location: Commissioners Centrals Office, Level 1, Tailevu House, Nausori Time : 8.30am - 3.00pm
Sigatoka VSC	Navua VSC
Location: Provincial Administrators Office Nadroga/ Navosa, Lawaga Park, Sigatoka Time 1830am - 3.00pm	Location: Provincial Administrators Serua Office, Navua Time : 18.30am - 3.00pm
Nadi VSC	Lautoka VSC
Location: Shop 3, Westpoint Arcade, Nadi Town Time : 8.30am - 3.00pm	Location: 36 Vitogo Parade, Lautoka Time : 8.30am - 3.00pm
Ba VSC	Rakiraki VSC
Location: Ministry of Youth & Sports, Ba Time : 8.30am - 3.00pm	Location: Provincial Administrators Office, Rakiraki Time 18.30am - 3.00pm
Keyasi VSC	Wainibuka VSC
Location: DOs' Office , Navatumali Government Station Time : 8.30am - 3.00pm Thursdays & Fridays only	Location: Nayavu Government Station Time 19.00am - 1.00pm only on Wednesdays
Korovou VSC	Levuka VSC
Location: DO's Office, Walmaro House, Korovou Time : 8.30am - 3.00pm	Location: Provincial Administrators Office Totogo Lane, Levuka Time : 8.30am - 3.00pm
Labasa VSC	Taveuni VSC
Location: Legal Aid Building, Jaduram St, Labasa Time : 8.30am - 3.00pm	Location: Women's Federation Half - Walyevo, Taveuni Time : 8.30am - 3.00pm

#### 5.0 FIND YOUR POLLING VENUE


आप उसी स्थल पर मतदान कर सक्ते हैं जहा पर लिस्ट में आपका नाम लिखा हुवा है। लेटेस्ट वोटा कार्ड में आपका पालिंग वेन्यु लिखा होगा.



#### 5.1 Be a Prepared Voter

#### तैयार वोटर बनने के लिए.

- (i) अपना वोटर कार्ड लाएँ
- (ii) पोलिंग वेन्यु में जल्द आँए (iii) यदि मौसम खराब है तो छाता लाना मत भूलिएगा
- (iv) पानी की बोतल अपने साथ लाए
- (V) यदि आप उपर दिए गए सभी कर चुके हैं, तो एक और वोटर की सहायता करें. (Vi) फेस मास्क पहने, दो मीटर की दूरी बनाए रखें और अपने हातों को सेनिटाईज करते










#### 6.0 METHODS OF VOTING

फिजी में तीन- अलग- अलग तरिकों से मतदान होता है। मतदान के दिन बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करेंगे। समुद्री और ऊँचे इलाकों के साथ- साथ अनुशासित बलों के मतदाता चुनाव पूर्व मतदान करेंगे। कई सारे मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग का विकल्प भी उपलब्ध है।.

2022 के आम चुनाव में मतदान करने के लिए, आपको उस उम्मीदवार के नम्बर को गोला, टिक या क्रोस करना होगा जिसे आप वोट देना चाहते है।

#### Either:



आपको नीचे दिए गए नियमों का पालन करना होगा;

- (i) मतदान केंद्र व्यक्ति रूप से मतदान करें जहाँ आपका नाम वोटर लिस्ट में पड़ता हैं।
- (ii) कार्डबोर्ड वोटिंग बूथ पर गुप्त रूप से अपने मतपत्र को मार्क करें।
- (iii) मतदान केंद्र पर रहते हुएँ आपको उस उम्मीदवार की खुले तौर पर घोषणा नहीं करनी चाहिए जिसे आपने वोट दिया है ।
- (iv) कार्डबोर्ड वोटिंग बूथ पर परिवार या समूह में मत देना मना है।
- (v) किसी और कि ओर से मतदान करना मेना है।
- (vi) एक बार जब आपने अपना मतपत्र बाँक्स में डाल देतें हैं, तो आपको तुरंत मतदान केन्द्र छोड़ देना होगा ।
- (vii) बुजुर्ग, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं को पहले चान्स दे
- (viii) कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें


#### **The Voter Instruction Booklet**

मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मतदाता को मतदान निर्देश की एक प्रति दी जाएगी। मतदाता सूचना पुस्तिका में 2022 का आम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या, नाम, फोटो और पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा ।

#### **6.1 Voting on Election Day**

वोटिंग सुबह 7.30 अम शुरू होगा और शाम को ठीक 5 बजे अंतिम मतदाता के मतदान क रने के बाद तुरंत बाद बंद कर दिया जाएगा। द्याएँग के अनुसार वे सभी स्थानों पर मतदान क दू स्थापित करेंगे।

The following is a standard Polling Station setup:



#### **Election Day Voting Steps**

#### **STEP 1: Inside Queue Control**

अच्छी तरह से ध्यान दे कि आपने अपना मास्क ठीक तरह से पहना है। फिर आपके हाथों में सेनिटायजर दिया जाएगा । क्यू कोट्रोलर आपको बोटा कार्ड या बेलिड फोटो आए डी रेडी करने को कहेगा तब बो आपको बोटा इनफोमेशन बुक्लेट देगा ।



#### STEP 2: Identification

आपको अपना वोटर कार्ड या वेलिड फोटो आईडी आँफिसर को दिखाना होगा जो सूची में आपके नाम की पुष्टि करेगा।



#### STEP 3: Signature

आपको वोटर लिस्ट के "सिगनेचर कोलम" में साईन करना पड़ेगा।



#### STEP 4: Issuing the Ballot Paper


बेलट पेपर इशू करने वाला आपको एक ही बेलट पेपर देगा। वो आपको बेलट पेपर मार्क करने का मेथड बताएगा

STEP 5: Marking the Ballot Paper

अब आप वोटींग कोईबोड कि ओर जाए और अपना वोटा इस्ट्रक्शन बुकलेट की मदद से, आप अपने चूज करे हुए केनेडडेट को वोट करें। बेलट पेपर में केवल एक ही केन्डिडेट नम्बर को सेकल, या टिक या फिर कोस करें। जब आप इसे खत्म कर लें, तब आप अपने बेलट पेपर को दोभागों में फोल्ड कर लें।



इन्कर अब अपके बाएँ की इन्डैक्स फिंगर को इन्क्क की बोतल में डुबो कर मार्क करेगा



# STEP 8: Leaving Polling Station and Polling Venue

अब आपको "I Voted" वाला काँटिया दिया जाएगा और फिर आप पोलिंग स्टेशन और पोलिंग वेन्यू से जा सकते है











#### **6.2 Pre- Poll Voting**

EC द्वारा अपूव किया गया नीचे लोग ही प्री- पोल वोटिंग कर सकते है;

- (i) जो लोग भीतरी इलाके में रहते हैं
- (ii) निसंग होम या हेल्त केया वोकस
- (iii) डिसिप्लिन्स फोर्स के मेम्बर हैं।
- (iv) जो प्रि- डाईल डिटेन्शन या सेन्टेन्स ओफ इमप्रिजमतन्ट में है।

प्रि-पोल लोकेशन की लिस्ट FEO ने पबलिश कर दिया है FEO प्रि- पोल रोड साईन भी लगाएगी





NOTE::प्र- पोल बेलट पेपर नेशनल काऊँट सेन्टर में किया जाएगा

#### **Pre-Poll Voting Steps**

#### **STEP 1: Inside Queue Control**

अच्छी तरह से ध्यान दें कि आपने अपना मास्क ठीक तरह से पहना है। फिर आपके हाथों में सेनिटायजर दिया जाएगा । क्यू कोट्रोलर आपको बोटा कार्ड या बेलिड फोटो आए डी रेडी करने को कहेगा तब वो आपको बोटा इनफोमेशन बुक्लेट देगा ।




आपको अपना वोटर कार्ड या वेलिड फोटो आईडी आँफिसर को दिखाना होगा जो सूची में आपके नाम की पुष्टि करेगा। अब आपका नाम वोटर लिस्ट में देख कर एक लाईन खींच देगा।





#### STEP 3: Signature

आपको बोटर लिस्ट के "सिगनेचर कोलम" में साईन करना पड़ेगा।



बेलट पेपर इश्वर आपको माकिंग मेथड बताएगा और सिकेट एन्वेलोप में डालने का प्रसिजर बताएगा। बेलट पेपर को बेलट बोक्स मेंडालने से पहले उसे सिकेट एन्वेलोप में डालें। आपको सिर्फ एक बेलट पेपर और सिकेट एन्वेलोप दिया जाएगा।

#### **STEP 5: Marking the Ballot Paper**

अब आप बोटींग कार्डबोड कि ओर जाए और अपना बोटा इँस्ट्रक्श नबुकलेट की मदद से, आप अपने चूज करे हुए केन्डिडेट को बोट करें। बेलट पेपर में केवल एक ही केन्डिडेट नम्बर को सेकल, या टिक या फिर क्रोस करें। जब आप इसे खत्म कर लें, तब आप अपने बेलट पेपर को दो भागों में फोल्ड कर लें।

# STEP 6: Placing of Ballot Paper into the Secret Envelope

याद रहे कि आपको बेलट पेपर ही मार्क करना है। अपने बेलट पेपर को फोल्ड करें और सीकेट एन्वेलोप में डाल ले।

#### STEP 7: Inking

इन्कर अब अपके बाएँ की इन्डेक्स फिंगर को इन्क्क की बोतल में डुबो कर मार्क करेगा

## STEP 8: Placing Secret Envelope in the Ballot Box

वोटा अपना सिकेट एन्वेलोप बोक्स में डालेगा

#### STEP 9: Leaving the Polling Venue

अब आपको "I VOTED" वाला कँटिया दिया जाएगा और फिर आप पोलिंग स्टेशन और पोलिंग वेन्यू से जा सकते हैं।













#### **6.3 Postal Voting**

- (i) एक रेज्सिटड वोटर जो फिजी के बाहर रहते हे या फिर जो पोलिंग के दिन फिजी से बाहररहेंगे।
- (ii) जो लोग किसी कारण वर्श पोलिंग डय के दिन नहीं जाए पाएंगे
- (iii) जो रेजिस्टड वोटा जो सेन्टेन्स या जेल में है।

To apply as a Postal Voter, you can either:

पोस्टल वोटिंग करने के लिए हमारे वेबसाईट पर दिए गए पोस्टल वोटिंग अप्लीकेशन फोम को फिल करें https://services.feo.org.fj/postal



All Postal Ballots must reach the FEO Headquarters no later than  $\bf 6:00pm$  on Election Day.

#### **Voting Steps - Postal Voting**

FEO दूारा आपको पोस्टल वोटिंग पेकज मिलेगा



पोस्टल वोटिंग पेकज के अन्दर आपको वोटर इस्ट्रक्शन बुक्लेट, एक बबेलट पेपर, सिकट एन्वेलोप और रिटर्न एन्वेलोप लिगा



वोटर इस्ट्रक्शन बुक्लेट की मदद से अपनी पसन्द की केनीडडेट को वोट करे



केनीडडेट के नम्बर के उपर क्रोस, सेकल या टिक करें



वोटिंग करने के बाद, बेलट पेपर को फोल्ड कर के सिकेट एन्वेलोप में डाले



एनवेलोप को सील कर के, ट्रान्सिमिशन एन्वेलोप मे डाले



फिर अंपको डेक्लेरेशन फोर्म को फिल करके साईन करना होगा

द्राँन्सिमशन एनवेलोप के पीछे दिए गए डिक्लारेशन फार्म को साईन करे द्राँन्सिमशन एन्वेलोप को रिर्टान एन्वेलोप में डाल कर कुरियर के जिरए एन्वेलोप में लिखे गए पते पर भेजे







NOTE: पोस्टल बेलट पेपर्स नेशनल काऊँट सेन्टर मे काऊट किए जाएगें

#### 7.0 PERSONS WITH DISABILITIES


उन लोगों को शामिल करता है जिनको शारिरीक, मानिसक बौद्धिक या संवेदिक अक्षमताएं है और जिन्हें दूसरो के साथ बातचीत करने में विभिन्न बाधाएँ पहुचती है। इन सभी कारणों से उनको समाज में इक्कवली भाग लेने के लिए बाधाएँ होती है।

प्रिसाइडिंग ओफिसर पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक है व्यक्ति है जो कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में फिजकिली डिस-एबल वोटर्स को असिस्ट करने के लिए अथोराइज है

#### 8.0 COUNTING OF BALLOT PAPERS

इलेक्शन डै पर बन्द होने के बाद ही, हर एक पोलिंग स्टेशन की बेलट पेपर काऊट होगा।


This is a standard counting station set-up:



#### **8.1 Counting Process**

#### **STEP 1:**

पोलिंग स्टेशन में सभी बेलट पेपर को बेलन्स किए जाएंगे और PO उन सभी बेलट पेपर को काऊंट बेलन्स करेंगे जो शायद किसी कारण वर्श डेमज हो गएँ होगें



#### **STEP 2:**

बेलट बोक्स की पाँच सिलों को चैक और वेरिफाय किया जाएगा और बेलट बोक्स तभी खुल पाएगा जब सब सील रिकोंसाइल होगा ।

अगर बेलट बोक्स सील्स में किसी भी तरह की डिस्कीपन्सी देखिगी तो बेलट बोक्स को नहीं खोला जाएगा ।





NOTE: :सिर्फ SoE या FEO

#### **STEP 3:**

वोटर लिस्ट में टोटल सिग्नेचर के मुताबिक से बेलट पेपर्स का रिकोंसिलिएशन होगा ।





Note: यदि बेलट पेपर रिकोसिलेएशन में किसी भी तरह की डीसिक्रिपन्सी है तो बेलट पेपर्स को रि-काउट किया जाएगा

#### **STEP 4:**

बेलट पुपर्स को गिन्ने से पहले, बेलट पेपर्स को केन्डिडट नम्बर के नुसार उसे कोलम में सेट किया जाएगा और फिर इस कोलम रैंज के बेलट पेपर्स को कांउट किया जाएगा। इन्वेलिड वोटस को भी काउन्ट किया जाएगा और कोलम को टोटल करने के बाद उसे वोटर लिस्ट की टोटल सिग्नेचर से रिकोन्साईल किया जाएगा



#### **STEP 5:**

बाय कोलम केंनिडडेट नम्बर के अनुसार पेपर्स को सोर्ट किया जाएगा। हर एक केनिडडेट की काँउनिटंग होगी। रिजल्ट को रिकार्ड बुक में प्रोटोकोल ओफ रिजल्टर्स वकशीट पर एँटर किया जाएगा ।


#### STEP 6:

अब P0 को P0 रिकोर्ड बुक के प्रोटोकोल ओफ रिजल्टस वर्कशीट में लिखे गए रिजल्टस को प्रोटोकोल ओफ रिजल्टस में ट्राँस्फर किया जाएगा ।



#### 9.0 DECLARATION OF RESULTS

पोलिंग स्टेशन की रिजल्टस को प्रोटोकोल ओफ रिजल्टस में रिकोर्ड करने के बाद, PO उस पर साइन ओफ करेगा। इस काम को भी तीन इलेक्शन आँफिसर ओबजरर्ब और विटनस करसकता है।



जैसे ही प्रोटोकोल ओफ रिजल्ट ट्राँसिम्ट करेगा। कोल सेन्टर से रिजल्टस को नेशनल रिजल्टस सेन्टर में सबिम्ट किथा जाएगा जहाँ साते पोालंग स्टेशन और नेशनल काऊँन्ट से न्टर के रिजल्टसप्रोविजनल रिजल्टस के रूप में रिसीव किया जाएगा। प्रोविजनल सिर्फ 7.00am दूसरे दिन तक दिया जाएगा। सेकण्ड कोपी जो कि पिंक कलर का है डिटैच करने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर पब्लिक को देखने के लिए प्लैस कर दिया है। थर्ड कोपी जोकि ग्रीन कलर का है, बेलट बोक्स में सैफ किपिंग स्टेशन के लिए रख दिया जाता है। प्रोटोकोल ओफ रिजल्टस की ओरिजनल कोपी, PO, टैम्पररी एविडैंनस एन्वेलोप में डाल कर नेशनल काँउन्ट सेन्टर भेज दिया जाता है।

#### 10.0 FINAL NATIONAL RESULTS TALLY

जैसे ही रिजल्टस सभी पोलिंग स्टेशन और नेशनल काऊँन्ट सेन्टर से मिल जाता है। रिजल्टस सेन्टर फाईनल नेशनल रिजल्टस टैली तैयार करता है जो SoE ओफ करते है

SoE फाइनल नेशनल रिजल्टस टैली EC को सीट सलेकश्न के लिए हैंन्ड- ओवर कर देगा ।



#### 11.0 ALLOCATION OF SEATS

EC को SoE दूरि फाइनल नेशनल रिजल्टस दिया जाएगा। फाइनल नेशनल रिजल्ट टेली  $\dot{ extbf{H}}$ 

- i. टोटल नम्बर ओफ वोटस रिसीव्ड बाय इच केडिडेट होगा:
- ii. टोटल नम्बर ओफ वोटस रिसीव्ड बाय ईच पोलिडिकल पार्टी होगा
- iii. पार्टी लिस्ट ज्यादा से ले कर कम वोटस रिसीव किए गए केडिडेटस के नाम लिस्ट में दिखेगा ।

हर एक केंडिडेट का टोटल नम्बर ओफ वोटस कैलकुलेट किया जाएगा और फिर 5% थ्रेष्होल्ड अप्लाई किया जाएगा जिन पोलिटिकल पार्टी यह इंडिपेन्डेन्ट को 5% ओफ टोटल वोटस नहीं मिलता है उनहें संसद में से कोई सीट नहीं मिलेगा।

#### FOR MORE INFORMATION VISIT:

www.feo.org.fj



#### FOR MORE INFORMATION ON ELECTORAL COMMISSION VISIT:

www.electoralcommission.org.fj



# 12.0 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT ELECTION CAMPAIGNING

- 1. हर एक केम्पाईन माटिरियल को पैड एडवाटिस्मंट के तौर पर लेबल किया जाएगा जो भी प्रिन्ट एडवाटिस्मंट को पय किया गया है, बताना होगा कि ये एक पाईड पोलिटिकल एडवाटिस्मंट और इसके लिए पैसे भरे गए है।
- 2. हर एक केम्पाईन माटिरियल को पैड एडवाटिस्मंट के तौर पर लेबल किया जाएगा जो भी प्रिन्ट एडवाटिस्मंट को पय किया गया है, बताना होगा कि ये एक पाईड पोलिटिकल एडवाटिस्मंट और इसके लिए पैसे भरे गए है।
- 3. हर एक केम्पाईन माटिरियल्स में नाम, पता और उस इनसान का नाम लिखा अनिवार्य है जिसनें उस एडवाटिस्मंट को ओतौराईज किया है।
- 4. हर एक केम्पाईन माटिरियल्स में उस प्रिन्ट करने वाले कम्पानी का नाम, पता विसनस का देना होगा और जो कमपानिक इसको नहीं देगा वो एक अपराधी में गिन्ती हो ।
- 5. हर एक केम्पाईन माटिरियल्स वोट करने वालों को घुमराह करना या धोका देने वाला नहीं होना चाहिए ।
- 6. किसी उम्मीद्वार के संबंध में असत्य और मानहानिकरक बयानों वाले किसी भी मामलों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या उजागर करने से बचना चाहिए ।
- 7. चुनाव प्रचार सामग्री को चुनाव में उम्मीदवार के नाम वापस लेने का कोई झूठा बयान देने से बचना चाहिए ।

- 8. सभी को किसी उम्मीद्वार या पार्टी की प्रचार सामग्री में बाधा डालने या नष्ट करने से बचना चाहिए ।
- 9. हर एक केम्पाईन माटिरियल्स को ऐसी भाषा या सामग्री का उप्योग करने से बचना चाहिए जो नस्लीय या धार्मिक बदनामी के बराबर हो या हिंसा को उकसाती हो।

#### **Prohibition on Bribery and Vote Buying**

पार्टी या केन्डिडट को किसी भी तरह का उपहार, पैसा अदि मत के लिए किसो को भी नहीं देना चाहिए ।

#### 48 Hour Campaign Restriction Before Election Day

7.30am एलेक्शन से दो दिन पहले से लेकर पोलिंग बन्द होने तर्क किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करना मना है।



#### 13.0 CENTRE FOR CREDIBLE ELECTION INFORMATION

फिज्यन एलेक्शन्स आफिस ने टज्ञटट के आम चुनावों के लिए नकली समाचार, गलत सूचना और दुष्प्रचार का मुकाबला करने के अपने प्रयासों में विक्ष्वासनीय चुनाव सूचना केंद्र CCEI की स्थापना की है जो फिजी में सभी चुनाव और चुनाव संबंधी सूचनाओं के लिए एक आँनलाइन केंद्र के रूप में काम करेगा।

#### The objectives of the CCEI is to:

- (i) 2022 के आम चुनाव के बारे में जानकारी तैयार करना और प्रकाशित करना ।
- (ii) विक्ष्वसनीय चुनाव के अधार पर FEO दूारा प्रकाशन फेमवोर्क का समर्थन करें
- (iii) चुनाव प्रकियां कार्य के संबंध में भ्रामक या गलत जानकारी के लिए सिक्क्य रूप से स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया प्रदान करें । .

For more information, please visit the CCEI website on www.ccei.org.fj or see our Facebook page @CentreforCredibleElectionInformation.



Source: Reynolds Community College.

#### 14.0 COMPLAINTS

अगर कोई रेडिस्टर वोटर किसी इलेक्शन ओफिस से खुश नहीं है तो वो EC से एक कोम्पलेंट लोज कर सकता है। कोम्पलेंटस लोज करने के लिए आपको Complaints Form' कोम्पलीट करना पड़ेगा। यह फोर्म आपको इलेक्शन डय पर PO से मिल सकता है या www.feo.org.fj से डाउनलौड़ कर सकते हैं। इस बुकलेट में भी आपको कोम्पलेंटस फोर्म मिलेगा। सभी कोम्पलेंटस नीचे दिए पते पर भेजिए



Any complaints submitted to the SoE must be directed to the following addresses:

#### HAND DELIVERED

Supervisor of Elections Fijian Elections Office St. Stephen's Building Suva

#### PO B

Supervisor of Elections Fijian Elections Office PO Box 2528 Government Buildings Suva

POST MAIL

#### **EMAIL**

info@feo.org.fj

# **15.0 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:** REGISTRATION:

क्या मुझे 2022 जेनरल एलेक्शन के लिए फिर से रेजिस्टर होना पडेगा ?

अगर आप एक बार रेजिस्टर हो चुके है तब आपको दोबारा रेजिस्टर नहीं होना पड़ेगा और अगर आपके ऐड्रेस में कुछ बदलाव हुवा है तो आप अपने नज़दिकी एलेकशन के दफतर में जाकर ये बदलाव अपने वोटा कार्ड में सुधार सक्ते हैं।

क्या मैं अपनी बच्ची का वोटा कार्ड जाकर दफतर से ले सकती हुँ?

जी नहीं, क्योंकि FEO बिना वेरिफिकेशन करे किसी को वोटा कार्ड नहीं देता, खास्कर उन्हें जो थार्ड पार्टी के हैं।

अगर मैं सूवा इलाके से अब लौतोका में आ गया हूँ, तो क्या मुझे फिर से रेजिस्टर होना पड़ेगा ?

जी नहीं, आपको दोबारा रेजिस्टर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि दोबारा रेजिस्टर होना गैर कानूनी है। हालांकी, आप वोटा रेजिस्ट्रेशन एन्ड अपडेठ फोर्म को भरके अपने करीबी एलेक्शन के दफतर में जाकर बदलाव करके और दूसरा कार्ड ले सक्ते हैं।

मेरे पास पुराना वोटा कार्ड है, क्या में उसको अगले एलेकश्न में इस्तमाल कर सकता हूँ ?

हरा रंग का वाटा कार्ड अगले जेनरल इलेकशन से पूर्व अपग्रेड हो जाना चाहिए, और अगर आप किसी कारण वर्श पालिंग स्टेशन पहोचगे तो आपको फिर भी वाट करने का हक्क दिया जाएगा ।

पिछली बार एलेकश्न के समय मैं ने कोरोवावू में मतदान किया था। अब मैं लेवूका में रहता हूँ तोक्या मैं अपने आस- पास के पोलिंग स्टेशन में मतदान दे सकता हूँ ।

जी हाँ, आप अपने नज़िंद्रकी वोटा सेविसस सेन्टर जा सकते है और वोटा रेजिस्ट्रेश्न एनड अपडेठ फोर्म को फिल कर सकते हैं और तब जाकर आपको अपने घर के पास वाला पोलिंग स्टेश्न मिलेगा।

#### **POSTAL VOTING**

पोस्टल वोटिंग कब ओपन और क्लोज़ होगा?

इलेक्शन डै की घोषणा करने के बाद, रेजिस्टर वोटर्स पोस्टल वोटिंग के लिए अपलाए कर सक्ते हैं। अप्लीकेशन्स इलेक्शन डय से 21 दिन पहले 5.00pm FEO पहुँचजाना चाहिए। लैट अवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

रेजिस्टर ओफ पोस्टल वोटर्स क्या है।

यह एक रेजिस्टर है जिसमें सभी रेजिस्टर्ड पोस्टल वोट का नाम और वोटर नम्बर्स लिखा होता है।

क्या कोई केन्डिडेट या पोलिटिकल पार्टी रेजिस्ट्रार ओफ पोस्टल वोट्स की कोपी ले सकता है।

जी हाँ, कोई भी उम्मीदवार या पोलिटिकल पार्टी एक फी पैय करने के बाद रेजिस्ट्र ार ओफ पोस्टल वोटस ले सकते हैं।

पोस्टल बेलट पेपर की वैरिफिकैशन कब शुरू होती है?

लौटा हुआ पोस्टल बेलट पैपज़ वैरिफिकैशन एलेकशन डै से भिदन पूर्व शुरू हो जाती है।

पोस्टल बेलट पैपस को कब गिना जाता है?

पोलिंग के बन्द होने के बाद नेशनल काऊँन्ट सेन्टर में काँउंटिंग होगी।

#### **PRE-POLL VOTING**

क्या प्रि- पया प्रि- पोल वोटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड पोलिंग वेन्यू सेट- अप होगा । सेट-अप लैआउट पोलिंग वेन्यै पर डिपेन्ड करता है।

प्रि- पोल वोटिंग कौन ओब्सर्व कर सकता है?

से अधिकृत कोई भी पोलिंग एजंट, प्रि- पोल वोटिंग प्रोसेस ओब्सर्व कर सकता है।

प्रि- पोल वोटिंग और एलेक्शन डय वोटिंग में क्या अंतर है?

सभी प्रिकिया वही है। सिर्फ एक ही अतंर है कि प्रि- पोल पेपर को बेलट बोक्स में डालने से पहले एक सिकेट एन्वेलोप में रखा जाता है, जिंक इलैक्शन डय में बेलट पेपर को सीधे बेलट बोक्स में डाला जाता है।

प्रि- पोल वोटस कब गिना जाएगा ?

पोल बन्द होने के बाद नेशनल काउंट सेन्टर में होगा।

## **ELECTION DAY**

अगर वोटर की उंगली पर पहले से ही इंक का निशान हो तो?

इस से यह पता चलता है कि वोटर ने वोट कर लिया है और उसे बेलट पेपर नहीं दिया जाएगा ।

क्या होगा अगर कोई वोटा अपने बेलट पेपर की कोन्टेंट को पोलिंग स्टेशन में ज़ेर से घोषणा कर देगा ?

अगर कोई यह काम करता है तो PO उस बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालने की अनुमित नहीं देता है और उसे ज़ब्त कर लेगा ।

क्या होगा अगर वोटर ने वोट नहीं किया पर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है?

अगर वोटर साबित करता है की उसने वोट नहीं किया है तो उसे एक बैलट पेपर दिया जाएगा । हालांकि उसका वोट बेलट बोक्स में नहीं डाला जाएगा और सटेंडड बेलट पेपर्स वाला एन्वेलोप में डाला जाएगा और काउंट भी नहीं किया जाएगा ।



# **OBJECTION TO REGISTRATION AS A VOTER**

## To the Supervisor of Elections **DETAILS OF OBJECTOR** (Must be a Registered Voter) VoterCard Number: \_\_\_\_\_ Date of Birth: (as recorded in your Birth Certificate) Full Name: \_\_\_\_ Current Occupation: Gender: Telephone/Mobile: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ Residential Address: [This part is compulsory] Postal Address **DETAILS OF PERSON OBJECTED TO:** VoterCard Number: Date of Birth: Surname: Gender: \_\_\_\_\_ Occupation: Residential Address: **GROUNDS FOR OBJECTION** Please indicate below your grounds for objection: Has not reached the age of eighteen (18) years; or Is not a citizen of Fiji; or Serving a sentence of imprisonment of twelve (12) months or longer imposed by a court in Fiji or by a court of another country; Under a law in force in Fiji, adjudged or declared to have mental disorder. DECLARATION BY OBJECTOR I solemnly declare that I have made a conscientious effort to determine that those facts above are true to the best of my knowledge and belief. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Signature of Objector: \_\_\_\_ Witness Details: \_\_\_\_\_ Adress: \_\_ Full Name: ----- Contact: Note: This form must be witnessed by either a Justice of Peace or Commissioner for Oath. For Official Use Only Date Received: \_\_\_\_\_ Received by: \_\_\_\_\_ Receivers Signature:\_\_\_\_ This Section is for the SoE Actions Taken: Dismissed Upheld Additional Comments by the SoE: Signature: www.feo.org.fj

#### Warning- Section 136(a) of the Electoral Act:

Any person who knowingly and wilfully makes a false statement or declaration in connection with an application for registration as a voter or any other statement or declaration for the purpose of the Electoral Act 2014 commits an offence and shall be liable upon conviction to a fine not exceeding \$50,000 or to a term of imprisonment not exceeding 10 years, or to both.

# To the Electoral Commission 59-63 High Street TOORAK

#### INSTRUCTION

- 1. Write in **BLOCK LETTERS** using black or blue pen
- 2. Place a tick  $(\checkmark)$  in a box when required
- 3. This form must be completed and submitted before 4.00pm on the day following the close of nominations for the election

# **Appeal on Nominations**

I appeal against the decision of the Supervisor of Elections to not accept my nomination as a candidate for the 2022 General Election.

	Rejected Ca	ndidate's Details				
Full Name						
☐ Political Party:		🔲 Independent				
The Supervisor of El	ections has not accepted n	ny nomination on the fo	ollowing ground(s):			
			rvisor of Elections. In support s (if insufficient space attach			
Signed:	Date:	/ / 20	Time:			
For Official Use Only:						
Date & Time Received by Electoral Commission	Date Appeal Determined	Appeal Decision	Date Candidate / SoE Advised			



# POSTAL VOTING APPLICATION FORM

PP-40-App

• Use a tick (✓) who	ere appropriate	FEO Date Stamp:  FOR OFFICIAL USE ONLY Form Complete	/es / No	Time
<ul> <li>Use Black or Blue p</li> <li>Use BLOCK LETTI</li> </ul>	pen <u>ONLY</u> ERS to complete form	Rejected - Incomplete / Not legal	Yes / No Ily compliant Date:	PVID #
1.0 Applicants Det	tails: Mr. Mrs.	Ms. Name as shown	n in your VoterCard)	
Surname:				
First Name(s):		Other Na	me(s):	
Phone: Country Code:	Mobile	: Er	mail:	
VoterCard Numl	ber:			
2.0 Address Detail	ls:			
	ttial Address: (Your Postal Vote w to this address. See over side for instru		nce/ Postal Address: er of correspondence from F	
	Postal Code			
3.0 I am applying	for Postal Voting because:	-		
	de of Fiji or will be outside of Fiji		_	
	illness or infirmity and I am unab rial detention or sentence of imp		living to my assigned po	lling station;
Due to my religion	ous beliefs or membership of a re ne hours of polling I am precluded	ligious order, I am precluded		g station or for the
I will be away fro	om my usual place of residence an the polling day.	nd in a place not convenient	to my assigned polling st	tation due to work
4.0 Statutory Decl	aration			
I Solemnly declare t	hat the information provided he	erein is true to the best of n	*	
knowledge and beli	ef.		Your Signature or t	humbprint
Declared at	this	day of20.	before me and I cert	ify that the
declaration was rea	d over in the	language to the declara	nt who appeared fully t	o understand the
meaning thereof.		Fijian Election Of		tary Public
			= '	Police Force Officer
	Signature of Witness and Stamp	Justice of the Pea	ace Fiji	Missions Civil Servants

# HOW TO FILL IN THE POSTAL VOTING APPLICATION FORM?

## When filling in the form:

- Use a tick where appropriate
- Use a blue or black pen only
- Use BLOCK LETTERS to complete the form

#### 1.0 Applicant Details:

- Write down your name as recorded in your VoterCard.
- If you are residing overseas, ensure that you fill in the correct *Phone Country Code*, mobile number and email address
- Ensure that you fill in your VoterCard number correctly.

#### 2.0 Address Details:

Delivery Address -

It's important that you fill the correct home address in this section. Fill in the correct Street Name, and house number. Your Postal Voting package will be hand delivered to you on the address that you highlight in this section. *Ensure that your Postal code or area code is correct.* 

Correspondence -

Due to time limitation for those residing overseas, we would recommend that you fill in an address that will ensure that you receive your letter of correspondence from FEO notifying you of whether your application has been approved or not. If not, you have to amend changes needed and the time span used for the correspondence to be sent from you to FEO and back.

## 3.0 I am applying for Postal Voting because: -

- Indicate your reasons for applying. Tick the appropriate box provided.
- **4.0 Statutory Declaration:** Ensure that this section of the Postal Voting Application Form is filled out in the presence of a witness as indicated on the form and ensure that its signed and stamped.

You can drop in your completed Postal Voting Application Form through; services, feo, org. fi/postal

If you seek clarifications, do not hesitate to contact us on email: info@feo.org.fj or via our Facebook page: Fijian Elections Office or www.feo.org.fj or call 3316 225.

Voter Check List	
Attach a copy of your Voter Identification Card <b>ONLY</b>	
Witness stamp visible	



# **Customer Complaint Form**

#### **Instructions**

- 1. To be completed in BLOCK LETTERS.
- 2. To be completed using a Black or Blue pen.
- 3. Tick ( $\checkmark$ ) where appropriate.
- 4. Extra sheets of paper are available upon request.

Cu	ustomer Details:									
	Full Name:									
	Phone Contact:									-
	Postal Address:									-
	Email:									
	ow do you want to		icted?	Pho	ne	Posta	ıl [	Em	ail	
	<b>omplaint Details</b> Date:	1	Time:				V	enue:		_
	Write down the de						<b>'</b>	ciruc.		
			For	Official		ly				_
	Received By:		For	D	ate:	ly				
S	Signature:			D T	ate: ime:					
S	Signature: Actions Taken: <b>Y</b>	es	For	D T N	ate: ime: ame of	Manag	er:			
S	Signature:			D T N P	ate: ime: ame of osition:	Manag	er:			
S	Signature: Actions Taken: <b>Y</b>			D T N P	ate: ime: ame of	Manag e:		ed:		

## **COMPLAINT FORM INSTRUCTIONS**

A Complaint Form may be used during the Fijian Elections. This form may be submitted to the Fijian Elections Officer ["FEO"] or the Presiding Officer ["PO"] at the Polling Venues.

This form may only be submitted by those Complainants if:

• The PO refuses to recognize or address any substantial breach; or

• You reasonably believe that a violation of the Electoral Act or other laws has occurred during the voter registration, political party registration, campaign, postal voting, pre-polling, polling or count.

NOTE: ALL complaints relating to election results must follow the process pursuant to section 99 of the Electoral Act 2014. This form is NOT used for that process. (in a box)

Complaints may submit this form to the PO at the polling venue or to the FEO. It is important that all the information you provide is accurate and that you are not filing a false claim. You must sign the form knowing that the information you give is true.

#### Tips for completing a Complaint form

- Please provide full name and contact information for the complainant. The complainant must be available to answer questions about the complaint or grievance.
- Please describe in detail the circumstances of the complaint or grievance. Provide the location of the complaint, names of individuals involved, actions taken, and what is believed to be the electoral offence.
- If there are witnesses, the witness(es)' name and accurate phone numbers must be provided.
- If you have evidence, you must submit it with this form. Submission of evidence or information after the form is submitted will be rejected and will not be used to support your complaint or grievance.

#### What will happen next:

- Your complaint form will be reviewed by the SoE.
- A decision will be delivered in writing to you.
- Political Parties and Candidates may appeal this decision to the Electoral Commission. An appeal form may be obtained from the FEO or the FEO website (www.feo.org.fj).

# 16.0 GLOSSARY

Total decommendation					
Ballot Paper	Means the paper in the form prescribed in the schedule of the Electoral Act, 2014 and which is used by a voter to cast their vote in an election.				
Cardboard Voting Booth	Structure made of cardboard which enables voters to mark their ballot papers without anyone else being able to see who they are voting for.				
Discarded Ballot Paper	<ol> <li>A ballot paper which is found lying in the Polling Station, which has not been put in a Ballot Box.</li> <li>A ballot paper which has been spoiled by a voter during the voter's second attempt at voting.</li> <li>A ballot paper which has been confiscated from the voter by the Presiding Officer as the voter refuses to be inked.</li> <li>A ballot paper which has been confiscated from the voter by the Presiding Officer as the voter had announced in the Polling Station who he or she had voted for prior to inserting his or her ballot paper into the ballot box.</li> </ol>				
Election Day	Also known as 'Polling Day'. Means the day prescribed by the President in the writ for Polling to take place in an election.				
Electoral Act, 2014	The legislation which sets out how the General Election is to be conducted.				
Indelible Ink	The ink used to mark a person's finger in the Polling Station to prevent them from voting more than once. The ink cannot be washed off and remains on the finger for several days.				
Invalid Vote	A ballot paper:  1. Which has any writing or marks on it which in the opinion of the Presiding Officer, can identify the voter;  2. Which has no vote indicated on it;  3. Which does not clearly indicate the candidate the voter wishes to vote for; or  4. Which indicates a vote for more than one (1) candidate.				
PO's Record Book	The Presiding Officer's written record of all activities in the Polling Station.				
Polling	Casting of votes on Polling Day or a date determined and approved by the Electoral Commission following an adjournment of polling and includes the casting of votes through postal or Pre-Poll voting.				
Polling Station	A building, structure, vehicle, vessel or enclosure within the Polling Venue where the registered voters will vote.				

Polling Venue	A location that has one or more Polling Stations at that location.
Presiding Officer	The person responsible for managing a Polling Station on Election Day or Polling Venue on Pre-Poll.
Proportional Representation	A system which aims at making the percentage of seats won by a political party approximately equal to its portion of the total vote.
Protocol of Results	The form which records the number of votes cast for each candidate at a Polling Station.
Reconciliation	The process before counting votes, where the Presiding Officer accounts for all Ballot Papers issued to the Polling Station.
Spoiled Ballot Paper	A Ballot Paper that was mistakenly marked by a voter so that it cannot be conveniently or validly used. The voter must return it to the Presiding Officer and will be issued another Ballot Paper to replace it.
Tamper Evident Envelope	A plastic envelope which once sealed cannot be opened without destroying it, therefore making it evident if someone has tampered with it.
Tendered Ballot Paper	A Ballot Paper given to a voter who has proof that they have not voted but whose name has already been crossed off the Voter List. These Ballot Papers are put into an envelope rather than into the Ballot Box and are counted if a Court directs.
Unused Ballot Paper	A Ballot Paper which has not been issued to a voter.
Used Ballot Paper	A Ballot Paper which has been issued to a voter.
Valid Vote	A Ballot Paper marked in an acceptable way to clearly indicate the voter's choice or intention.
VoterCard	An identification card assigned to a person on the registration of the person as a voter, containing the full name, photograph, date of birth, residential address, voter number, polling venue and any other information as required by the SoE.
Voter List	Lists of voters who are allocated to vote at a particular Polling Station.
Voter Number	A unique identification number assigned to every voter.





## Contact us

Phone: +679 331 6225

Email: info@feo.org.fj | Web: www.feo.org.fj

Facebook: @Fijianelectionsoffice

#### HEADQUARTERS

59-63 High Street, Toorak, Suva. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

#### LAUTOKA OFFICE

36 Vitogo Parade, Lautoka. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

## LABASA OFFICE

Legal Aid Building, Jaduram Street, Labasa. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

